

मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना की घोषणा

चर्चा में क्यों?

26 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये 'मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना' प्रारंभ करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की महिलाओं को स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएँ आर्थिक स्वावलंबी बनेंगी।
- इस योजना के तहत महिलाओं को दिये गए ऋण में 30 प्रतिशत अथवा 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ अविवाहिता, तलाकशुदा, वकिलांग आदि महिलाएँ प्राप्त कर सकेंगी।
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी क्षेत्रों में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।